

प्रेषक,

डा० अशोक कुमार वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा, मीरजापुर, ललितपुर, महोबा, आगरा, जालौन, चित्रकूट, आजमगढ़, कानपुर देहात, हमीरपुर,
मुरादाबाद, इलाहाबाद, अमेठी, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, फतेहपुर, बरेली, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़,
झांसी, रामपुर, शाहजहाँपुर, मथुरा, कुशीनगर, बुलन्दशहर, बलिया, गोरखपुर, सम्भल, गौतमबुद्धनगर,
हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमरोहा, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई,
अम्बेडकरनगर, सीतापुर, वाराणसी, जौनपुर, चन्दौली, देवरिया, बस्ती एवं संत कबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2015

विषय: फरवरी/मार्च, 2015 में प्रदेश में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष, सीमित धनराशि के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-315/1-11-2015-1(जी)/2015टी0सी0, दिनांक 05.06.2015 के अनुसार मात्र राज्य सरकार की ओर से देय सहायता राशि से प्रथमतः लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में वितरित किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹ 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख ₹ 0 में		
क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	बांदा	1500.00
2	मीरजापुर	200.00
3	ललितपुर	1500.00
4	महोबा	1500.00
5	आगरा	300.00
6	जालौन	1500.00
7	चित्रकूट	1500.00
8	आजमगढ़	365.77
9	कानपुर देहात	600.00
10	हमीरपुर	1500.00

11	मुरादाबाद	500.00
12	इलाहाबाद	300.00
13	अमेठी	300.00
14	कन्नौज	356.56
15	कानपुर नगर	200.00
16	खीरी	200.00
17	फतेहपुर	500.00
18	बरेली	200.00
19	फिरोजाबाद	500.00
20	प्रतापगढ़	300.00
21	झांसी	1500.00
22	रामपुर	500.00
23	शाहजहांपुर	300.00
24	मथुरा	1500.00
25	कुशीनगर	250.00
26	बुलन्दशहर	300.00
27	बलिया	200.00
28	गोरखपुर	200.00
29	सम्भल	250.00
30	गौतमबुद्धनगर	250.00
31	हाथरस	300.00
32	मैनपुरी	600.00
33	अलीगढ़	200.00
34	कौशाम्बी	200.00
35	बाराबंकी	100.00
36	सुल्तानपुर	100.00
37	अमरोहा	200.00
38	गाजीपुर	327.67
39	लखनऊ	400.00
40	रायबरेली	500.00
41	हरदोई	400.00
42	अम्बेडकरनगर	200.00
43	सीतापुर	300.00
44	वाराणसी	500.00
45	जौनपुर	300.00
46	बंदोली	300.00
47	देवरिया	200.00
48	बस्ती	200.00

49	संतकबीरनगर	300.00
	कुल योग रु०	25000.00
	(रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र)	

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-04-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा। इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रु० 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रु० 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

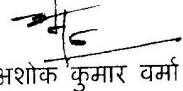
4- इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

5- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तापूर्स्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर व्यय-विवरण शासन को प्रेषित किया जाय।

6- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू०पी०.एनआईसी०.इन पर फीड करना सुनिश्चित किया जाय।

7- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू०ओ०-2/1-11-2013-रा०-1, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में

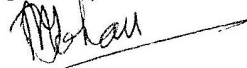
से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

भवदीय,

(डा० अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

संख्या:- 1247(1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव ।